**संख्या- 33/2016-1296/58-2016-130/2016**

**प्रेषक,**

**इन्दुबाला कटियार,**
**उप सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,**
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक 10 मई 2016**

**विषय:** **अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 07.4.2016 एवं पत्र संख्या-31-32/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 06.5.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित उद्यान शाखा की प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना में 12 जनपदों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-5008 हजार (रूपये-पचास लाख आठ हजार) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-**

**अनुदान सं0-10** **(धनराशि हजार रूपये में)**

| लेखाशीर्षक/मद का नाम | मद का नाम | प्राविधानित धनराशि | अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-<br>108-वाणिज्यिक फसलें-<br>03-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन का प्रोत्साहन | 27-सब्सिडी<br>42-अन्य व्यय | 4768<br>240 | 4768<br>240 |
| | योग- | 5008 | 5008 |

**(रूपये-पचास लाख आठ हजार मात्र)**

**(1)** **अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा।**

**(2)** **अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाय।**

http://shasanadesh.up.nic.in

**(3)** अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम के रूप में लाभार्थी/ कृषक को उसके बैंक खाते में नियमानुसार सीधे जमा कराया जायेगा।

**(4)** लाभार्थी का चयन के लिए 1:10 के अनुपात में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा उनमें से चयन जिलाधिकारी द्वारा नामित/गठित एक समिति द्वारापारदर्शी तरीके से लाभार्थियों/आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी पद्वति से किया जायेगा।

**(5)** विभाग द्वारा सभी मानकों को विस्तृत विवरण सहित चयनित लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उन्हीं मानकों के अनुसार निर्माण/उत्पादन का कार्य एवं सत्यापन आदि होंगे।

**(6)** विभाग एक समन्वयक की भूमिका निभाते हुए निर्माण कार्य निवेश की गुणवत्ता के मानक इत्यादि को उपलब्ध कराते हुए उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उपाय करेगा। लाभार्थी अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्बन्धित उत्पादकों/संस्थाओं से क्रय करेगा।

**(7)** लाभार्थी के चयन में द्विरावृति नहीं की जायेगी।

**(8)** अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन द्वारा विगत में अनुमोदित की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार काह व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(9)** जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

**(10)** अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

**(11)** अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

**(12)** शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

**(13)** धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

**(14)** उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक तथा जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

**(15)** अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

**(16)** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://sirsasandesh.up.nic.in

**संख्या: 33/2016-1296(1)/58-2016, तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**

**(2) महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।**

**(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

**(4) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।**

**(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।**

**(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।**

**(7) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।**

**(7) गार्ड फाइल।**

**आज्ञा से,**

**(इन्दुवाला कटियार)**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.upnic.in